

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं. 133/21	धारा अंतर्गत 53,88, 89,188 RTA	ग्राम मजरावता	तहसील बारां
वादी फूलचन्द वर्गौ	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी अमरलाल वर्गौ	
वकील :- श्री जितेन्द्र नागर एडो	आदेश पत्रक कार्यवाही एवं आदेश	वकील:-	

दिनांक	विविध संदर्भ
27.09.2021	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88, 89,188 आर. टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 12-10-21 को पेश हो। <i>WL</i>
12-10-21	पत्रावली पेश हुई। वकील श्री उमर अली की एलजी से एलजाना पत्र कहे पत्रावली काटे एलजी दिनांक 9-12-21 को पेश की। <i>WL</i>
9/12/21	उपखण्ड अधिकारी बारां गोबिन्दीन अधिकारी को एलजी में रहने से पूर्ववत दिनांक 27-1-22 को प्रस्तुत की। <i>WL</i> रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां
27-1-22	गोबिन्दीन अधिकारी को एलजी में रहने से पूर्ववत दिनांक 31-3-22 को प्रस्तुत की। <i>WL</i> रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां
31/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील श्री उमर अली की एलजी से एलजाना पत्र कहे। पत्रावली वाहे एलजी दिनांक 20/5/22 को पेश की। <i>WL</i>
20/5/22	गोबिन्दीन अधिकारी को एलजी में रहने से पूर्ववत दिनांक 22/7/22 को प्रस्तुत की। <i>WL</i> रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां
22-7-22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उमर अली की एलजी से एलजाना पत्र कहे। पत्रावली वाहे एलजी दिनांक 20-7-22 को पेश की। <i>WL</i>

